(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3246–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–5–2014 पारित द्वारा तहसीलदार बुरहानपुर जिला खरगोन प्रकरण कमांक 22/अ–6/2012–13.

1. गिरधर पिता स्व. घीस्या
2. कालिया उर्फ कालू पिता स्व0 घीस्या
3. पन्ना उर्फ पन्नालाल पिता स्व0 घीस्या

निवासीगण ग्राम बन्हेर तहसील बुरहानपुर
जिला खरगोन, म0प्र0

————आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती कालीबाई पिता स्व0 घीस्या पति एडू
निवासी ग्राम टेमा बहरामपुर तहसील गोगावां
जिला खरगोन म0प्र0

————अनावेदक

– – – – – –

श्री एच0एस0 कुशवाह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 10 अप्रैल 2015)

– – – – –

आवेदकों द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बुरहानपुर जिला खरगोन प्रकरण कमांक 22/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 09–5–2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित\ 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कालीबाई द्वारा ग्राम करियापुरा प0ह0 नं0 22 स्थित भूमि खसरा कमांक 13/3 रकबा 0.947,

सर्वे नं0 13/6 रकबा 0.542 एवं सर्वे नं0 13/7 रकबा 0.542 वर्तमान में अनावेदकगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार भवानपुरा के समक्ष संहिता की धारा 109 एवं 110 के आवेदन दिया। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 22/अ—6/2012—13 पंजीबद्ध किया तथा आवेदकगण को सूचना जारी की। आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष दिनांक 9—5—14 को संहिता की धारा 111 एवं सी0पी0सी0 की धारा 9 के अन्तर्गत आवेदन पेश किया। तहसीलदार ने दिनांक 9—5—14 को आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन अमान्य किया तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर प्रचलनशीलता के बिन्दु पर तर्क किये। अनावेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि आवेदक द्वारा निगरानी समय—सीमा में प्रस्तुत नहीं की गई है। उनके द्वारा विलम्ब के संबंध समयावधि की धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से समयावधि के बिन्दु पर ही निरस्त की जाये।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि आवेदक द्वारा जानकारी के दिनांक से समय—सीमा में निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया कि तहसील न्यायालय में अनावेदिका द्वारा स्वत्व के निराकरण हेतु वाद दायर किया है जिसकी अधिकारिता किसी राजस्व न्यायालय को नहीं है। उक्त बिन्दु के संबंध में व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 111 के अन्तर्गत आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे निरस्त करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा गया कि जहां स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न हो वहां समयावधि के बिन्दु पर प्रकरण का निराकरण नहीं किया जाना चाहिए।

5/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार किया। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 9–5–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा दिनांक 9–5–2014 के आदेश की प्रतिलिपि हेतु आवेदन 14–7–14 को किया तथा जिस दिनांक को उसे नकल प्राप्त हुई उसमें भी कांटछांट की जाकर 14–7–14 के स्थान पर 14–8–14 की गई है। यदि यह मान भी लिया जाये कि आवेदक को उक्त नकल 14–8–14 को प्राप्त हुई तब भी उसके द्वारा विलम्ब से निगरानी 11–9–2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। दिनांक 9–5–14 के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11–9–14 को निगरानी प्रस्तुत की गई है यदि निगरानी प्रस्तुत किये जाने की निर्धारित समय–सीमा को कम कर दिया जाये, तब भी आवेदक द्वारा निगरानी 40 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाने में आवेदक असमर्थ रहा है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा निगरानी के साथ धारा 5 का आवेदन मय शपथ के प्रस्तुत नहीं किया है। 1996 आर.एन0 257 जिला पंजीयक सहकारी बैंक मर्यादित विरूद्ध काशी प्रसाद गुप्ता में इस न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि – ''विलम्ब के लिऐ आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत नहीं किया गया – 5 दिन का विलम्ब भी क्षमा नहीं किया जा सकता है।'' उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तो के प्रकाश में निगरानी समय–सीमा में मान्य नहीं की जा सकती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी समयबाधित होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर